"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 जनवरी 2004—माघ 8, शक 1925

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2004

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-3/सं./तीस/2003.—यत: छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग की राय में यह आवश्यक हो गया है, कि :—

(एक) डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों के पदों को संविदा नियुक्ति से शासकीय सेवा में लिया जाए.

(दो) इस संचालनालय में तृतीय श्रेणी के डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों की रिक्तियों को तत्काल भरा जाए.

(तीन) इन तृतीय श्रेणी के डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को एक निश्चित अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त किया जाए.

भारत के संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा संस्कृति संचालनालय में संविदा आधार पर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स की भर्ती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना तथा प्रारंभ -

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग, संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व डाटा एन्ट्री ऑपरेटर संविदा सेवा (नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) नियम, 2004 है।"

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियम में कोई बात होने पर भी यह नियम संविदा आधार पर नियुक्त उन सभी श्रेणियों के शासकीय सेवकों पर लागू होंगे जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर अनुसूची में विनिर्दिष्ट करे।

(3) ये इसके छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :-

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों के नियुक्ति प्राधिकारी से अभिप्रेत है अनुसूची - एक के खाना क्र. (5) में विनिर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी।

(ख) "चयन समिति" से अभिप्रेत है अनुसूची -चार के खाना क्र. (3) में संबंधित प्रवर्ग के लिए विनिर्दिष्ट समिति।

(ग) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार।

(घ) "संस्कृति विभाग" से अभिप्रेत है संचालनालय संस्कृति, पुरातत्व एवं संबंधित विभाग।

(ङ) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है। इन नियमों में संलग्न अनुसूची।

(छ) "डाटा एन्ट्री ऑपरेटर नियुक्ति" से अभिप्रेत है यथास्थिति संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व मुख्यालय तथा उनके अन्य जिलों में क्षेत्रीय कार्यालयों/संग्रहालयों में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर।

(ज) वर्गीकरण तथा संविदा राशि - संविदा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को संविदा राशि का भुगतान अनुसूची-एक के खाना क्र.(4) में दिए गए अनुसार किया जाएगा।

3. विस्तार तथा लागू होना - ये नियम संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व तथा उससे संबंधित विभागों पर लागू होंगे।

4. चयन तथा नियुक्ति की प्रकिया :-

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् संविदा डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति सीधे चयन प्रक्रिया द्वारा की जावेगी।

(2) संविदा नियुक्ति की अर्हता अनुसूची-तीन के खाना क्र. (3) के अनुसार होंगे।

(3) सीधी संविदा नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1994, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र-21 सन् 1994) के अनुसार लागू होंगे।

(4) उपरोक्त नियमों के अनुसार महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा ऐसे अन्य अभ्यर्थियों के लिए जो पिछड़े वर्गों के हों, पद आरक्षित किए जाएंगे । साथ ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों और राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश के अनुरूप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए पद आरक्षित किए जावेंगे।

(5) अनुसूची में अंकित श्रेणियों के पदों पर समस्त नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर की जायेगी।

(6) चयन समिति की बैठक आवश्यकतानुसार होगी। चयन प्रक्रिया का निर्धारण समिति का विशेषाधिकार होगा ।

(7) संविदा नियुक्ति के लिए उन्हीं उम्मीदवारों पर विचार किया जावेगा जिनके पास उपयुक्त योग्यता हो। क्षेत्र में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। पदों से संबंधित योग्यता अनुसूची तीन के अनुसार होगी।

5. संविदा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद: -

(1) कम से कम किसी दो स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापित किए जाएंगे ।

(2) विशिष्ट पदों हेतु उपलब्धता की जानकारी स्थानीय रोजगार कार्यालय को दिए जाएंगे।

6. सेवाकाल: -

(1) संविदा पर नियुक्त किसी कर्मचारी का सेवाकाल 1 वर्ष से अनधिक समय का होगा। यह समयावधि पूर्ण हो जाने के पश्चात् शासन पदों को निरंतर रखने की स्वीकृति देता है तो पदों पर पुनः नियुक्तियां दी जावेगी अन्यथा समयावधि पूर्ण हो जाने पर नियुक्ति स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।

(2) संविदा नियुक्ति उम्मीदवार हेतु नियत वेतनमान पद के अनुरूप विभाग निर्धारित करेगा।

(3) 1 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर संविदा सेवा अगले 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा यदि उम्मीदवार के कार्य से चयन समिति संतुष्ट हो।

7. आयु :- पात्रता हेतु न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा अनुसूची-दो के खाना क्रमांक (3), (4) और (5) में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी ।

8. अन्य शर्तें: -

(1) इन नियमों के अधीन कोई भी नियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति केवल उसी श्रेणी के रिक्त पदों पर की जावेगी जो कि नवीन सेट-अप के तहत शासन द्वारा मंजूर किए गए पद हो तथा उन्हें शासन प्रतिवर्ष निरंतर रखने हेतु सहमत हो।

(2) नवीन उम्मीदवारों को अनुसूची-एक के खाना क्र. (4) के अनुसार निश्चित मासिक संविदा वेतन दिया जावेगा।

(3) पदों पर नियुक्तियां प्रदान करते समय आरक्षण नियमों एवं रोस्टर प्रणाली का पालन किया जावेगा।

(4) महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (लोक सेवा एवं पदों पर महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधानं) नियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार होगा।

(5) इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होगा। इसे छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, पढ़ा जाएगा।

(6) इन नियमों के अधीन सेवा, सेवाकाल समाप्त होने के पूर्व कभी भी किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस अथवा नोटिस के स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है ।

(7) इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति समान वेतन पाने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों को लागू नियम के अनुसार यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, पाने के हकदार होंगे ।

(8) इन नियमों के अनुसार नियुक्त कोई भी व्यक्ति किसी पेंशन सुविधा का हकदार नहीं होगा।

(9) इन नियमों के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त वर्ष में 13 दिन का आकस्मिक अवकाश और 3 दिन का ऐच्छिक अवकाश पाने का हकदार होगा, परन्तु अन्य किसी प्रकार की छुट्टी अथवा अवकाश का हकदार नहीं होगा।

(10) इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति यदि कार्य से बिना छुट्टी/अवकाश स्वीकृत कराए अनुपस्थित रहते हैं तो उनके वेतन से आनुपातिक कटौती की जावेगी।

(11) संविदा नियुक्ति की अन्य शर्तें वे होंगी जो विभागाध्यक्ष द्वारा जारी नियुक्ति आदेश में अंकित रहेगी।

(12) डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों के पदों पर नियुक्ति में सुस्पष्टता एवं निष्पक्षता किसी भी स्तर पर सुनिश्चित करने के लिए विभाग सुसंगत आदेश जारी करने के अधिकारी होंगे।

(13) चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी किए जाने अथवा पाए जाने पर प्रशासनिक अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जावेगी तथा नियुक्ति निरस्त की जाएगी।

(14) चयन प्रक्रिया में किसी अर्थ लाभ की पुष्टि होने पर अथवा शिकायत प्राप्त होने पर जांच के उपरान्त उम्मीदवार अथवा चयनित पक्ष अनुशासनिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. म्हस्के, उप-सचिव.

अनुसूची - एक

(देखिए नियम 2 (क))

अ.क्र.	पद का नाम तथा श्रेणी	पद की संख्या	संविदा राशि (समेकित तथा प्रथम नियुक्ति पर नियत)	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) तृतीय श्रेणी तकनीकी (वेतनमान 3500-5200)	8 पद	रू. 6000/- प्रतिमाह नियत	संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व, छत्तीसगढ़ रायपुर

अनुसूची - दो

(देखिए नियम (7))

अ.क्र.	पद का नाम तथा श्रेणी	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) तृतीय श्रेणी तकनीकी (वेतनमान 3500-5200)	18 वर्ष	35 वर्ष (छ.ग. शासन द्वारा दी गई 5 वर्ष तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट सम्मिलित करते हुए)	आरक्षित वर्ग एवं महिलाओं वर्ग हेतु नियमों के अनुसार छूट

अनुसूची - तीन

(देखिए नियम 4 (2))

अ.क्र.	पद का नाम तथा श्रेणी	अर्हता	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) तृतीय श्रेणी तकनीकी	10+2 पद्धति से 12वीं उत्तीर्ण अथवा स्नातक उत्तीर्ण, इसके साथ-साथ डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लिकेशन, ग्रंथालय में कम्प्यूटर कार्य करने का अनुभव, शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में 2 वर्ष का अनुभव। हिन्दी टाइपिंग में 50 शब्द प्रतिमिनट की गति अनिवार्य है।	छत्तीसगढ़ी बोली का ज्ञान रखने वाले उम्मीदवार को अधिमानता।

अनुसूची - चार
(देखिए नियम 2(ख))

क्रमांक	पद का नाम तथा श्रेणी	चयन समिति के सदस्य	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) तृतीय श्रेणी तकनीकी	1. संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, छत्तीसगढ़ रायपुर-अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक, संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व छत्तीसगढ़ रायपुर - सदस्य 3. उप संचालक (प्रशा.) ,संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व छत्तीसगढ़ रायपुर - सदस्य 4. तकनीकी सलाहकार/विशेषज्ञ - सदस्य 5. आरक्षित वर्ग हेतु प्रतिनिधि अधिकारी - सदस्य	

रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2004

क्रमांक एफ 2-3/सं./तीस/2003.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-3/सं./तीस/2003 दिनांक 28 जनवरी 2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. म्हस्के, उप-सचिव.

Raipur, the 28th January 2004

NOTIFICATION

No. F 2-3 /culture/xxx/2003 - Whereas, in the opinion of the State Government, it has become necessary that: -

(i.) The appointment to the posts of Data Entry Operators in Government service, be made on contract basis

(ii.) In this Directorate vacant class III posts of Data Entry Operators be filled up immediately.

(iii.) These class III Data Entry Operators be appointed on contract basis for a particular period of time.

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309, of the Constitution of India the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to the recruitment of Data Entry Operators in the Directorate of Culture on contract basis.

Rules

1. Short title, application and commencement: -

1) These rules may be called "the Chhattisgarh Department of Culture, Directorate of Culture & Archaeology Data Entry Operator contract service's (Appointment and conditions of Services) Rules 2004".

2) Inspite of any changes in the prevailing rules. these rules shall apply to such categories of employees appointed on a contract basis as may be specified in the Schedule from time to time by the State Government.

3) They shall come into force with effect from the date of publication in the Chhattisgarh Gazette.

2. Definitions: -

In these rules, unless the context otherwise requires;-

a) Appointing authority as per Schedule-I, Column Number (5) will be the sole authority for appointing Data Entry Operators.

b) "Selection Committee" means the committee specified in the Schedule-IV, Column Number (3) for the concerned category.

c) "Government" means the Government of Chhattisgarh.

d) "Department of Culture" means the Directorate of Culture, Archaeology and related Department.

e) "State" means Chhattisgarh State.

f) "Schedule" means the schedule attached to these rules.

g) "Data Entry Operator appointment" means that the appointment of Data Entry Operator will be done in the Department of Culture, under the Directorate of Culture and Archaeology at Head Quarter or other regional offices/museums.

h) Classification and contract amount - contract Data Operators will be paid a contract amount under schedule-I, Column Number (4).

3. Scope and Applicability -

These rules will be applicable under the Department of Culture to the Directorate of Culture & Archaeology and related Department.

4. Selections and Procedures for Appointment -

1) After the initiation of rules, the appointment of the contract Data Operators will be made directly through selection procedure.

2) The qualification for contract appointment of Data Entry Operators will be according to the Schedule-III, Column Number (3).

3) Chhattisgarh Public Service (reservation for Scheduled Tribes, Scheduled Castes and Other Backward Classes) rules will be applicable as per Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit jatiyon, Anusuchit jan jatiyon Aur anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) for the direct contractual appointment

4) According to the above rules women, disabled persons, ex-servicemen and other such categories will also be included in backward class for the reservation facility. Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit jatiyon, Anusuchit jan jatiyon Aur anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam 1994

(No. 21 of 1994) finalised for the Chhattisgarh Public Service for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes will also be applicable. In addition to the above. the rules which will be framed from time to time by the Government will be applicable.

5) All appointments to the categories of post mentioned in the Schedule shall be made by the appointing authority on the recommendation of the Selection Committee specified in this Schedule.

6) The Selection Committee will meet as and when required and will have full say in the selection procedure.

7) Those candidates who are found suitably qualified will have a fair chance for the contract appointment. Preference will be given to those who possess experience in the area. Qualifications for the posts will be as per Schedule III.

5. Post of Contract Data Entry Operators -

1) The posts will be advertised in minimum two local newspapers.

2) Local Employment Office will be informed about the availability of the particular posts.

6. Tenure -

1) Tenure of any employee so appointed on contract basis shall be for a period of not exceeding one year. After expiry of the period. if the Government permits the continuation of the post. the post will be again filled up. Otherwise the appointment will stand automatically cancelled.

2) The Department will be authorised to fix the salary of the candidate commensurate with the post.

3) After the expiry of one year the contract service will be extended for another one year in case the Selection Committee is satisfied with the progress of the candidate.

7. Age-

1) The minimum & maximum age limits for eligibility shall be as mentioned in Column Number (3), (4) and (5) of Schedule-II.

8. Other Conditions-

1) As per the rules any contract appointment will be made against a vacant post sanctioned by the Government under the new Government set-up and if the Government is willing to continue the appointments on yearly basis.

2) New appointee will be paid a fixed contract monthly salary as per Schedule-I. Column Number (4).

3) After the appointments are made to the posts. reservation rules & roster system will be followed up.

4) Reservation for women candidates shall be made in accordance with the provision of Chhattisgarh Civil Service's (Special Provision for Appointment of Women) Rule 1997.

5) Any person appointed under these rules shall be governed by the Chhattisgarh Civil Services (Conduct) Rules 1965. It shall be read as C.G. Civil Services conduct Rule.

6) The services under these rules may be terminated at any time before the expiry of the tenure after giving one month's notice on either side or one month's pay in lieu thereof.

7) Any person appointed under these rules shall be entitled to medical facilities & travelling allowance in accordance with the rules applicable to the employees of the State Government.

8) As per the rules any person appointed would not be entitled to any pensionary benefits.

9) Any person appointed under these rules shall be entitled to casual leave for 13 days & optional leave for 3 days in a year in addition to gazetted holidays. However, he shall not be entitled to any kind of leave or vacation.

10) If persons appointed as per the rules, remain/absent without prior sanction of leave, their emoluments will be deducted as proportionate to their salary.

11) The contract appointment will include various conditions as mentioned in the appointment order issued by the Head of the Department.

12) Appointment of the Data Entry Operator will be fair & without any bias at any level. The Head of the Department will be entitled to pass relevant orders.

13) During the process of selection if any irregularity comes to light the Administrative officers will be liable for action and the appointment may be cancelled.

14) If any economic benefits are proved or any complaint is received during the process of selection, the candidates or the selected party will liable for disciplinary action, after proper investigation.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
J. S. MHASKEY, Deputy Secretary.

Schedule -I
(See Rule 2(a))

S No.	Name of Post and Category	Number of Post	Contractual Amount (Consolidated and fixed at first appointment)	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Data Entry Operator (contractual) Class III Technical (Scale 3500-5200)	8 Posts	Rs. 6000/- Per month Fixed	Director Culture and Archaeology, Chhattisgarh, Raipur.

Schedule -II
(See Rule 7)

S No.	Name of Post and Category	Minimum Age	Maximum Age	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Data Entry Operator (contractual) Class III Technical (Scale 3500- 5200)	18 years	35 years (Including the age relaxation up to maximum 5 years given by the Government of Chhattisgarh)	Relaxation as per rules for reserved category and women class

Schedule -III
(See Rule 4(2))

S No.	Name of Post and Category	Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Data Entry Operator (contractual) Class III Technical	12th passed (10+2 procedure) or Graduation; Diploma in computer application; experience of working on computer in the Library; Two years experience in Government./Semi Government organisation. Hindi typing speed of 50 words per minute is essential	Preference will be given to those having knowledge of Chhattisgarhi Language.

Schedule -IV
(See Rule 2(b))

S No.	Name of Post and Category	Members of Selection Committee	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Data Entry Operator (contractual) Class III Technical	1. Director Culture and Archaeology Department, Chhattisgarh, Raipur - Chairman 2. Joint Director, Directorate of Archaeology and Culture, Chhattisgarh. Raipur- Member 3. Deputy Director (Administration). Directorate of Archaeology and Culture. Chhattisgarh, Raipur- Member 4. Technical Advisor/Specialist-Member 5. Officer representing the Reserved Category - Member.	

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.